भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 163
बुधवार, 27 नवम्बर, 2024 (6 अग्रहायण, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

आयुष्मान सहकार

163 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन के लिए आयुष्मान सहकार निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संवितरित धनराशि का वर्ष- वार ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप है। देश में किसी भी राज्य/बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति जिसके उपनियमों में अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा/स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं लेने के लिए उपयुक्त प्रावधान हैं, इस योजना के तहत पात्र है। योजना के उद्देश्यों में सहकारी समितियों द्वारा आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सुविधाओं की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा देना और इन समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के व्यापक लक्ष्यों में योगदान करने में मदद करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह योजना सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण बढ़ता है। शिक्षा, बीमा और संबंधित गतिविधियों सहित स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान को सुविधाजनक बनाकर, आयुष्मान सहकार का उद्देश्य सभी के लिए सुलभ, समावेशी और समग्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, एनसीडीसी को अभी तक आंध्र प्रदेश राज्य की किसी भी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****